संख्या-10/2026/001-270-1-2026-2026557-12-2099-70-2026

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 13 मार्च, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्ययय-103- बीज-04-आधारिक बीज भण्डावर-01-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीजों की लागत और प्रासंगिक व्ययय योजना के मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में पुनर्विनियोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-एस0एफ0-1930-जी/4401-01/पुनर्विनियोंग/2025-26 दिनांक 19 फरवरी, 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-0404-उ0प्र0 बीज स्वावलम्बन नीति-2024 के अन्तर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास की परियोजना के मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य में उपलब्ध बचत रू0 9377.25 लाख, अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधरिक बीज भण्डार-02 बोरा बोरी की लागत और प्रासंगिक व्यय योजना के मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में उपलब्ध बचत रू0 150.00 लाख एवं अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधरिक बीज भण्डार-03-कपास और बिनौले के बीजों की लागत और प्रासंगिक व्यय योजना के मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में उपलब्ध बचत रू0 10.00 लाख अर्थात कुल बचत 9537.25 लाख (पंचानवे करोड़ सैंतीस लाख पच्चीस हजार मात्र) को अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधरिक बीज भण्डार-01-खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीजों की लागत और प्रासंगिक व्यय योजना के मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में संलग्न प्रपत्र बी0एम0-09 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैंः-

नियम-शर्तें/प्रतिबन्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2. जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

3. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

4. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

5. प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

6. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यकय में मितव्ययियता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 95,37,25,000 (रुपये पंचानबे करोड़ सैंतीस लाख पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखाशीर्षक** 4401001030401 खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत और प्रासंगिक व्यय **मानक मद** 43 सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-10(1)/2026 /001-270-1-2026-2026557-12-2099-70-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,

6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डॉ0 रंजना दुबे

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।